निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 105 / वर्ष 2017-2018

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, के माह 12/2016 से 2/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं अक्षय कुमार यादव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री हरिओम, व. लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 8 / 3 /2018 से 20/3/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव एवं अशोक कुमार , सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 24-12-2016 से 4-1-2017 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2015 से 11/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 2/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण वभाग का कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अ धकार क्षेत्र, पूर्ण, जिला - रुद्रपयाग ।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को सम र्पत रा श / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (सम र्पत)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-15	-	-	556.10	551.66	1627.24	1624.28		2.1
2015-16	-	-	575.65	570.84	2867.54	2494.52		73.02
2016-17	-	-	587.35	574.40	4116.33	4116.33		0
2017-18 (10.3.18 तक)		-	640.35	597.13	3169.22	2847.38	--	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कया जाता है।

(iv) इकाई की श्रेणी A है।

(v) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) स चव , लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अ भयंता (वभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अ भयंता, गड़वाल क्षेत्र ,

(4) अधीक्षण अ भयंता, (5) अ धशासी अ भयंता (6) साहयक अ भयंता

(7) कनिष्क अ भयंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वत्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखा धकारी (4) प्रशासनिक अ धकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vii)

(viii) वजय नगर- तैलामोटर मार्ग का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(ix) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक15-2-18 से 17-2-18 तक निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 2/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनरा श रु मे)।

   भाग प्रथम - 1203592.32

   भाग द् वतीय - 228640.24
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. 2/2018 के अन्त में(धनरा श रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 73438.00

   (ख) सामग्री क्रय - शून्य

   (ग) नगद परिशोधन - शून्य

   (घ) निक्षेप - 95909118.00 (रु मे)

   (ङ) भण्डार -1994497.00

भाग-II 'अ'

-शून्य-

भाग -2 ब

प्रस्तर 1 :– वन भू म की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अपूर्ण कार्यो पर ` **31.24** लाख का व्यय।

वत्तीय नियम यह प्रावधानित करते है क सक्षम अ धकारी द्वारा भू म सम्यक रूप से हस्तान्तरित कए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं कया जाना चाहिए।

1. जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत छेना– उछोला बक्सीर-डांगी-खोड़ा मार्ग (01 से 5 कमी.) के अवशेष कार्यो हेतु रू. 35.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांकः 30–01–2006 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा निर्दे शत कया गया था क कार्य प्रारम्भ से पूर्व वन वभाग की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सम्प्रेक्षा में अ भलेखों की नमूना जांच में देखा गया 2.220 है0 वन भू म की उपलब्धता सुनिश्चित बिना ही कार्य हेतु 6 अनुबंध (वर्ष 2006 एवं 2007 मे) गठित कर कार्य पर फरवरी 2018 तक 15.01 लाख का व्यय कया जा चुका था। वन वभाग की अनुमति न मलने के कारण कार्य स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी पूर्ण नही कया जा सका था।

.2 जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बधाणीताल छेनागाड़ मोटर -मार्ग निर्माण कार्य हेतु रू. 139.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांकः 27–02–2006 को प्रदान की गई थी। खण्ड द्वारा तैयार किये गये विस्तृत आगणन पर उक्त कार्य की आं शक तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग (0क्षे0लो0 नि0 वि0, रुद्रप्रयाग के द्वारा रू0 40.73 लाख की दिनांक 27/09/2007 को प्रदान की गई थी तथा निर्दे शत कया गया था क कार्य प्रारम्भ से पूर्व भू म की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये एवं वन (संरक्षण) अ धनियम 1980 का पालन कर लया जाये।

सम्प्रेक्षा में अ भलेखों की नमूना जांच में देखा गया 3.50 है0 वन भू म की उपलब्धता सुनिश्चित बिना ही कार्य हेतु 10 अनुबंध (वर्ष 2007 मे) गठित कर कार्य पर फरवरी 2018 तक 16.23 लाख का व्यय कया जा चुका था। वन वभाग की अनुमति न मलने के कारण कार्य स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी पूर्ण नही कया जा सका था।

उपरोक्त प्रकरणों को सम्प्रेक्षा में उठाये जाने पर खण्ड ने बिन्दु (1) एवं (2) के सम्बन्ध मे अवगत करवाया क वनभू म पत्रावा लया गठित कर आन लाइन अपलोड कर दी गयी है तथा

वनभू म की सैद्दंतिक स्वीकृति अपे क्षत है। उत्तर मान्य नहीं था क्यों क वनभू म उपलब्धता सुनिश्चित कए बिना कार्य प्रारम्भ नही कए जाने चाहिए थे एवं कार्यो पर ` 31.24 लाख का व्यय के बावजूद कार्य स्वीकृति के 10 से 11 वर्ष बाद भी अपूर्ण थे ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1** : निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं रु 7.91 लाख अर्थदण्ड कम आरो पत कया जाना

शासनादेश संख्या 901 / xviii-(2) /एफ /14-12 (ii) /2014 दिनांक 26-5-2014 कमी 0.00 से 19.80 तक मोटर मार्ग निर्माण लागत रु 2662.33 लाख की प्राप्त हुई थी । एवं अधीक्षण अ भयंता , स वल वृत्त लो नि व ,रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 1766 /41 यातायात - स0 वृ0 /2014 दिनांक 27-8-2014,के द्वारा प्राप्त वस्तृत आगणन पर मुख्य अ भयंता के पत्र 1773/6 याता0- स वल वृत्त - ग0 क्षेत्र / 2014, दिनांक 1-9-2014 के द्वारा वजय नगर तैला मोटर मार्ग कमी 0.00 से 9.00 एवं 17.80 कमी से 19.80 कमी तक मोटर मार्ग निर्माण / चौड़ीकरण लागत रु 1703.17 लाख की आं शक प्रा व धक स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इसमे निम्न ल खत प्रावधान कए गए थे ।

(1) समस्त कार्य आई आर सी / लो नि व /मोर्ड / मोर्थ, की वस्तृत व शस्टियों के अनुसार कया जाना था ।

(2) कार्य मे उपयोग होने वाली सामग्री के नमूनो का परीक्षण, आई आई टी रुड़की की प्रयोगशाला मे कया जाना था ।

(3) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबध्यता पर वशेष ध्यान दिया जाना था ।

(4) जिन कार्यो का प्रावधान वस्तृत आगणन मे नहीं है उन पर कोई व्यय नहीं कया जाना था ।

इस कार्य को पूर्ण करने के लए दो अनुबंध गठित कए गए अनुबंध संख्या 15 के अनुसार अनुबं धत रा श रु 13,03, 93 ,199.20 दिनांक 11-12-14 को कार्य प्रारम्भ करना था दिनांक 10-3-16 तक पूर्ण कया जाना था एवं अनुबंध संख्या 17 की रा श रु 3,11,79,036.60 थी दिनांक 1-1-15 को कार्य प्रारम्भ करना था एवं 30-4-16 तक कार्य पूर्ण कया जाना था । इसके अतिरिक्त कमी 7 मे 30 मी स्पान मोटर सेतु का निर्माण पर अनुबं धत रा श 1,31,31,257.43 थी कार्य दिनांक 10-8-15 को प्रारम्भ करना था 9-11-15 तक पूर्ण कया जाना था ।

आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया क- निर्माण कार्य अनुबंध संख्या 15 एवं 17 से संबन्धित कार्य लेखापरीक्षा ति थ तक अपूर्ण थे । ओर ठेकेदार से समयवृद् ध क्षतिपूर्ति (एलडी) की वसूली कर राजस्व मे जमा भी नहीं कया गया था जब क अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36 (d) के अनुसार कम से कम अनुबं धत रा श का 0.5% प्रति सप्ताह एवं

अ धकतम 10% रा श वसूल की जानी चाहिय ओर यह राजस्व लेखे मे जमा की जानी चाहिए । उपरोक्त अनुबन्धो पर रु 1273.29 लाख ,रु 308.50 लाख, रु 111.07 लाख कुल धनरा श रु 1692.86लाख व्यय की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर वभाग ने अपने उत्तर मे बताया क- कार्यो मे वलम्ब की समय वृद् ध का प्रकरण प्रमुख अ भयंता को प्रे सत कया गया था उनके द्वारा प्रकरण को औ चत्यपूर्ण पाये जाने के कारण 0.01 % अर्थदंड आरो पत कए जाने का अनुमोदन दिया गया ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यो क उपरोक्त नियमानुसार कम से कम अर्थदण्ड अनुबं धत रा श का रु 0.5% निर्धारित है जब क प्रमुख अ भयंता द्वारा 0.01 % अर्थदंड आरो पत कया गया था । यह अ धप्राप्ति नियमावली के वरुद्ध है अत: अनुबंध 15 एवं 17 की रा श रु 16,15,72,235.00 का 0.5% = 8,07,861, - 16157= 7,91,704.00 अर्थात रु 7.91 लाख रा श का अर्थदंड कम आरो पत कया गया था यह दंड एक सप्ताह के लए था ले कन लेखापरीक्षा ति थ तक लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया था ओर निर्माण कार्य अपूर्ण था ।

अत: उपरोक्त निर्माण कार्य अपूर्ण रहने एवं रु 7.91 लाख अर्थदण्ड कम आरो पत करने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
38/2005-2006	शून्य	1,2,3
19/2006-2007	-	1,
51/2007-08	-	1,2,3
13/2011-12	01,	1,2,3
37/2012-13	1,2	1,
4/2014-15	-	1,2,3
92/2015-16	1,2,3,	1,
101/2016-17	1,	1,
योग	7	16

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग के अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) सुनील कुमार- ईई, वनोद कुमार रतूड़ी- कनिष्ट अ भयन्ता, कुमारी रैना- सहायक अ भयन्ता, की सेवा पुस्तिकाएं

   (ii) रणवीर संह- कनिष्ठ अ भयन्ता, लक्ष्मी प्रसाद डमरी- डब्ल्य.ए., धन संह राणा- मेट, सोनू लाल- मेट, गुड्डू लाल- मेट, रमेश लाल- मेट, भरत संह -मेट, ध्रुप संह- बेलदार, नत्था संह- बेलदार की जी.पी.एफ. पास बुक।

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव ध
(i)	श्री इन्द्रजीत बोस	अ धशासी अ भयंता	वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   श्री आलोक कुमार खण्डीय लेखा धकारी वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/आ र्थक क्षेत्र -2